भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-337

उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

झारखंड के धनबाद में केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण

†*337. श्री दुलू महतो:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें झारखंड के धनबाद में केन्द्रीय विद्यालय संख्या 2 के निर्माण का कार्य समय पर पूरा किए जाने हेतु तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

झारखंड के धनबाद में केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री दुलू महतो द्वारा पूछे गए दिनांक 24.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 337 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, झारखंड राज्य के धनबाद में केन्द्रीय विद्यालय (केवि) संख्या 2 के निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करने वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

नए केवि खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं, जिसमें मानदंडों के अनुसार नए केवि की स्थापना के लिए भूमि और अस्थायी आवास सहित पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता होती है। केवि के लिए स्थायी भवनों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जो उपयुक्त भूमि की पहचान, प्रायोजक अधिकारियों द्वारा केविसं को भूमि का हस्तांतरण/पट्टा संबंधी को पूरा करने, निर्माण एजेंसी द्वारा चित्र/अनुमान प्रस्तुत करने, निधि की उपलब्धता और अपेक्षित अनुमोदन आदि पर निर्भर करता है।

केविसं से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केवि क्रमांक 2 धनबाद शैक्षणिक वर्ष 2003-04 से झारखंड राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अस्थायी आवास में कार्य कर रहा है। शुरुआत में, स्थायी स्कूल भवन के निर्माण के लिए फरवरी, 2018 में केविसं के पक्ष में 05.00 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई थी, लेकिन उक्त जमीन पर अतिक्रमण था और न्यायालयी मामला चल रहा था।

इसके बाद, झारखंड राज्य सरकार ने 4.30 एकड़ का एक वैकल्पिक भूमि खंड का प्रस्ताव किया है, जिसे केविसं ने सितंबर, 2023 में कुछ कमियों जैसे मिट्टी भराई, पहुंच मार्ग, पेयजल आपूर्ति आदि को दूर करने के अध्यधीन स्वीकार कर लिया है। उक्त भूमि को सभी विसंगतियों से मुक्त करके झारखंड राज्य सरकार द्वारा केविसं के पक्ष में अभी हस्तांतरित किया जाना है।

*****